

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 539] No. 539] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2016/श्रावण 11, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2016/SRAVANA 11, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 2 अगस्त. 2016

सं. 36/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 760 (अ). — जबिक पदनामित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 3904 61 के अंतर्गत आने वाले पालीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई) पर, दिनांक 24 अगस्त, 2011 की सा0का0िन0 सं.641(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 24 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं.81/2011-सीमा शुल्क के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- I, खंड 1 में दिनांक 8 जुलाई, 2016 को प्रकाशित दिनांक 8 जुलाई, 2016 के अधिसूचना सं0 15/11/2016- डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

अब उपयुक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतदद्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.िन. सं.641(अ) के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 24 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 81/2011-सीमा शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

3836 GI/2016 (1)

उपर्युक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 के पश्चात तथा स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"4. पैराग्राफ 3 में विहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 23 अगस्त, 2017 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रदद नहीं कर दिया जाए।"

> [फा. सं. 354/150/2005-टीआरयू] अनुराग सहगल, अवर सचिव

िटप्पणी: मूल अधिसूचना सं0.81/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अगस्त, 2011 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- ा।, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.641(अ), दिनांक 24 अगस्त, 2011 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2016

No. 36/2016-Customs (ADD)

G.S.R.760 (E). —Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/11/2016-DGAD, dated the 8th July, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 8th July, 2016, has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on Polytetrafluoroethylene (PTFE) (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 3904 61 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, People's Republic of China, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.81/2011-Customs, dated the 24th August, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.641(E), dated the 24th August, 2011, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.81/2011-Customs, dated the 24th August, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.641(E), dated the 24th August, 2011, namely: -

In the said notification, after paragraph 3 and before the *Explanation*, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"4. Notwithstanding anything contained in paragraph 3, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 23rd day of August, 2017, unless revoked earlier.".

[F. No. 354/150/2005-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note: The principal notification No.81/2011-Customs, dated the 24th August, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.641(E), dated the 24th August, 2011.